Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ क्र.: आईआरडीएआई/एनएल/डी-टैरिफ/196/11/2023
Ref. No.: IRDAI/NL/De-tariff/196/11/2023 दिनांक/ Date: 03.11. 2023

आदेश
ORDER

विषय: पूर्व के प्रशुल्कों को हटाने के बाद लागू रूपरेखा सुझाने के लिए कार्य-बल का गठन
Re: Constitution of the Task Force to suggest applicable framework post De-tariffication of erstwhile tariffs

आईआरडीएआई ने वर्तमान प्रशुल्कों की अधिसूचना को निरस्त करने के बाद विनियामक रूपरेखा सुझाने के लिए गठित कार्य-दल की सिफारिशों की जाँच की है। अधिसूचना को निरस्त करने के बाद साधारण बीमा का संचालन एक सिद्धांत आधारित दिशानिर्देशों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। बीमाकर्ता पहले से ही "साधारण बीमा व्यवसाय के लिए उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देशों" के साथ उत्पाद अभिकल्पन के संबंध में समर्थ बनाये गये हैं।
The IRDAI has examined the recommendations of the Working Group constituted for suggesting the regulatory framework post de-notification of the existing tariffs. Post de-notification, the conduct of general insurance will be guided by a principle based guidelines. Insurers are already stand enabled on product design with "Product Filing Guidelines for General Insurance Business".

चूँकि, प्रशुल्कों के निरस्तीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा वर्तमान प्रशुल्कों से संबंधित अधिसूचना को निरस्त करना तथा इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करना आवश्यक है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ता के प्रतिनिधियों से युक्त एक कार्य-बल का गठन श्री राजेन्द्र बेरी, सदस्य, बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) की अध्यक्षता में किया जाए।
Since, de-tariffication requires de-notification of existing tariffs by the Authority and publish the same in the official gazette, it has been decided to constitute a Task Force, under the Chairmanship of Shri Rajendra Beri, Member, Insurance Advisory Committee (IAC), consisting of representatives from the following insurers/reinsurer:

1) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
   New India Assurance Co. Ltd;
2) एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
   HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd;
3) बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
   Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd;
4) गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
   Go Digit General Insurance Co. Ltd;
5) रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
   Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd;
6) भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसीआई);
   General Insurance Corporation of India;
7) श्री रणदीप सिंह जगपाल, कार्यपालक निदेशक (एनएल), सदस्य संयोजक;
   Shri Randip Singh Jagpal, ED (NL), Member Convener;

उक्त कार्य-बल से अपेक्षित है कि बीमाकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन के रूप में व्यापक विवेकसम्मत दिशानिर्देश सुझाये तथा संबद्ध महत्वपूर्ण परिचालनगत पहलुओं का समाधान करे।
The Task Force is required to suggest broad prudential guidelines and address associated critical operational aspects as a guidance to Insurers.

उक्त कार्य-बल के लिए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं।
The following are the terms of reference for the Task Force.

1) समाधान किये जानेवाले विषयों की सिद्धांत आधारित रूपरेखा की सिफारिश करना।
   To recommend principle based framework of matters to be addressed

2) व्यवसाय की निरस्त अधिसूचना की व्यवस्थाओं के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप सुझाना।
   To suggest draft of guidelines for de-notified lines of business

उक्त कार्य-बल इस आदेश के निर्गम की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।
The Task Force should submit their recommendations within three weeks from the date of issue of this Order.

आर. एस. जगपाल

(रणदीप सिंह जगपाल / Randip Singh Jagpal)
कार्यकारी निदेशक (गैर-जीवन) / ED (Non-Life)